न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
259/2020	21.10.2020	07.12..2022

//उनवान//

1 बहादुर पुत्र मौहरसिंह जाति जाट निवासी मोहम्मदपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— वादी

बनाम

1 किनकी उर्फ टिनकी पुत्री फूसाराम पत्नि शिवलाल (फौत)

1/1 पूरण पुत्र किनकी उर्फ टिनकी

1/2 नरेश पुत्र किनकी उर्फ टिनकी जातियान जाट निवासीयान मालियर तह0 तिजारा जिला अलवर, राज0।

2 लक्ष्मणसिंह पुत्र सरबो उर्फ सरवण पुत्री फूसाराम जाति जाट निवासी भोजराजका तह0 कोटकासिम अलवर, राज0।

3 परसराम पुत्र श्रीमति भरपाई पुत्री फूसाराम नीमलाका तह0 कोटकासिम अलवर, राज0।

4 रामसिंह पुत्र मनभा पुत्री फूसाराम सिरयाणा तह0 कोटकासिम अलवर, राज0।

5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार, मुण्डावर

6 रामप्रकाश पुत्र रामोवतार पौत्र भरपाई जाति जाट निवासी नीमलाका तह0 कोटकासिम अलवर, राज0।

7 प्रमोद पुत्र रामोवतार पौत्र भरपाई जाति जाट निवासी नीमलाका तह0 कोटकासिम जिला अलवर, राज0।

:— प्रतिवादीगण

8 पिंकू कुमार

9 राजकुमार पुत्रान मोहरसिंह

10 रामरिख

11 रामकिशन

12 बलजीत पुत्रान गंगाराम जातियान जाट निवासीयान मोहम्मदपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— तर0 प्रतिवादीगण

दावा— इश्तकरारहक मय दूरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड वो हु0ई0 दवामी।

उपस्थितिः— श्री महेश यादव — वकील वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:14:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 42/1.40, 44/1.[illegible], 45/5.21, 45/1117/0.40, 46/3.20, 48/2.40, 49/0.77, 49/1118/1.11, 50/1.32, 50/1119/0.44, 51/0.06, 52/3.63, 53/0.63, 54/1.71 वाके ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर में स्थित होकर आराजी का 1/3 भाग विवादित आराजी कहलायेगी जो 1/3 भाग फकीरा

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

पुत्र फूसा का रहा है तथा फकीरा पुत्र फूसा विवादित आराजी पर अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करता रहा है एवं जो विला औरत नाऔलाद रहा है एवं मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण के साथ निवास करता था तथा हम ही मृतक फकीरा की सेवा टेहल करते रहे हैं जिससे खुश होकर व भविष्य में उसके हिस्से की आराजी पर कोई विवाद न हो इसलिए दिनांक 08.02.2001 को अपने कब्जेकाश्त खातेदारी की वसियत मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण के नाम तहरीर वो तकमील कराकर वसियत पर अपने अंगूठा निशानी कर गवाहन की गवाही करवाकर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करा लिया था। वसियत के मुताबिक तहरीर कराया है कि आराजी मेरे कब्जेकाश्त की है मैं काफी वृद्ध हो चुका है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं पता नहीं कब जान निकल जावें मेरा विवाह नहीं हुआ है इस कारण मेरे कोई संतान नहीं है मेरे भाईयों के लड़कों के पास रहता हूं जिनके नाम पिंकू कुमार, बहादुर सिंह, राजकुमार पुत्रान मौहरसिंह व रामरिख, रामकिशन, बलजीत पुत्रान गंगाराम है ये मेरे रिश्ते में सगे भतीजे लगते हैं मैं इनकी सेवा टहल से प्रसन्न हूं इसलिए मैं इनके नाम वसियत कर रहा हूं, यह आराजी हर प्रकार कर भार से मुक्त है मुझे वसियत करने का पूरा हक प्राप्त है अपनी प्रसन्नता से बिना किसी दाब दबाव के होशहवाश में उक्त ग्राम पेहल की चल व अचल संपत्ति की वसियत पिंकू कुमार, बहादुरसिंह, राजकुमार पुत्रान मौहरसिंह 1/2 भाग व रामरिख, रामकिशन, बलजीत पुत्रान गंगाराम 1/2 भाग जातियान जाट निवासीयान मोहम्मदपुर तह0 मुण्डावर को वसियत करता हूं और लिख देता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं मालिक हूं और मेरे मरने के बाद वसियत के आधार पर वसियत ग्रहिता अपने नाम इन्तकाल दर्ज व मंजूद करा सकेंगे इसमें कोई उज्र नहीं करेगा। फकीरा पुत्र फूसा दिनांक 02.05.2001 को फौत हो गया तथा मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण मृतक फकीरा की आराजी पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है अंकित करते हुये वाद वादी व तर0प्रतिवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि इन्तकाल सं0 2311 वाके ग्राम पेहल को बातिल व बेअसर करार दिया जाकर विवादित आराजीयात को मिनवादी व तर0प्रतिवादी सं0 6 व 7 को 1/2 भाग का व तर0प्रतिवादी सं0 8 ल0 10 का 1/2 भाग का वसियत के आधार पर कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] तलबी प्रतिवादी सं0 1, 4 एवं 6 ल0 10 जो हाल शीर्षक में 6 ल0 10 के स्थान [illegible] 8 ल[illegible] है ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना–अपना इकबाल [illegible] शामिल पत्रावली है एवं मुताबिक इकबाल वादी [illegible] स्वीकार है। यदि वादी डिक्री फरमाया किया जावे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा एवं प्रतिवादी सं0 2, 3 [illegible] 7 जो हाल शीर्षक में 6, 7 के स्थान पर संख्या 8, 9 पर दर्ज है द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किये जाने की स्थिति में उनके जवाब के अवसर को समाप्त किया गया। तथा प्रतिवादी सं0 05 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवं मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:14:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

जवाब पैरोकार वादी अपने वाद को स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2011 प्रदर्श–2, नकल इन्तकाल सं0 2311 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 किता 2 प्रदर्श–4, नकल सत प्रतिलिपि नोटेरी वसियत क्रमांक 27284 प्रदर्श–5 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र बहादुर पुत्र मौहरसिंह पीडब्ल्यू–1, रणजीत पुत्र गणपत पीडब्ल्यू–2, शुभराम पुत्र श्रीराम पीडब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से आराजी की बाबत जो फकीरा पुत्र फूसा की आराजी रही है तथा फकीरा पुत्र फूसा बिला औरत नाऔलाद रहे होने की स्थिति में फकीरा का अपने सगे भाईयों के लड़कों के पास रहा होना अवगत कराते हुये फकीरा द्वारा पिंकू कुमार, बहादुरसिंह, राजकुमार पुत्रान मौहरसिंह 1/2 भाग व रामरिख, रामकिशन, बलजीत पुत्रान गंगाराम के नाम 1/2 भाग में वाके ग्राम पेहल की चल व अचल संपत्ति की वसियत कर दिया जाना तथा जब तक मैं जिंदा हूं मैं मालिक हूं और मेरे मरने के बाद उक्त संपत्ति के मालिक वसियत ग्रहिता होंगे, अवगत कराते हुये वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2011 प्रदर्श–2, नकल इन्तकाल सं0 2311 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 किता 2 प्रदर्श–4, नकल सत प्रतिलिपि नोटेरी वसियत क्रमांक 27284 प्रदर्श–5 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र बहादुर पुत्र मौहरसिंह पीडब्ल्यू–1, रणजीत पुत्र गणपत पीडब्ल्यू–2, शुभराम पुत्र श्रीराम पीडब्ल्यू–3 पेश किया जाकर शामिल पत्रावली होना एवं वादी द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजात के माध्यम से अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने का अभिकथन करते हुये वादी के वाद को डिक्री किये जाने एवं इन्तकाल सं0 2311 वाके ग्राम पेहल को बातिल व बेअसर करार दिये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन [illegible] वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से पूर्णरूपेण साबित कर दिये ज[illegible] की स्थिति में यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:14:41 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के हाल आराजी ख0नं0 42/1.40, 44/1.38, 45/5.21, 45/1117/0.40, 46/3.20, 48/2.40, 49/0.77, 49/1118/1.11, 50/1.32,

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

50/1119/0.44, 51/0.06, 52/3.63, 53/0.63, 54/1.71 वाके ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के 1/3 भाग फकीरा पुत्र फूसा के हिस्से आराजी की हद तक के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त 1/3 हिस्से के बाबत पूर्व निर्णित इन्तकाल सं0 2311 वाके ग्राम पेहल को बातिल व बेअसर करार दिया जाता है तथा मुताबिक उक्त इन्तकाल सं0 2311 वाके ग्राम पेहल अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे पक्षकारान के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त फकीरा पुत्र फूसा के 1/3 भाग हेतु वादी एवं तर0प्रतिवादी सं0 8 व 9 को संभाग में 1/2 भाग का व तर0प्रतिवादी सं0 10 ल0 12 को 1/2 भाग का उक्तानुसार दर 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **07.12.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

07-12-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलकटर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:14:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
259 / 2020	21.10.2020	07.12..2022

/ /उनवान/ /

1 बहादुर पुत्र मौहरसिंह जाति जाट निवासी मोहम्मदपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1 किनकी उर्फ टिनकी पुत्री फूसाराम पत्नि शिवलाल (फौत)

1/1 पूरण पुत्र किनकी उर्फ टिनकी

1/2 नरेश पुत्र किनकी उर्फ टिनकी जातियान जाट निवासीयान मालियर तह0 तिजारा जिला अलवर, राज0।

2 लक्ष्मणसिंह पुत्र सरबो उर्फ सरवण पुत्री फूसाराम जाति जाट निवासी भोजराजका तह0 कोटकासिम अलवर, राज0।

3 परसराम पुत्र श्रीमति भरपाई पुत्री फूसाराम नीमलाका तह0 कोटकासिम अलवर, राज0।

4 रामसिंह पुत्र मनभा पुत्री फूसाराम सिरयाणा तह0 कोटकासिम अलवर, राज0।

5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार, मुण्डावर

6 रामप्रकाश पुत्र रामोवतार पौत्र भरपाई जाति जाट निवासी नीमलाका तह0 कोटकासिम अलवर, राज0।

7 प्रमोद पुत्र रामोवतार पौत्र भरपाई जाति जाट निवासी नीमलाका तह0 कोटकासिम जिला अलवर, राज0।

:– **प्रतिवादीगण**

8 पिंकू कुमार

9 राजकुमार पुत्रान मोहरसिंह

10 रामरिख

11 रामकिशन

12 बलजीत पुत्रान गंगाराम जातियान जाट निवासीयान मोहम्मदपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– **तर0 प्रतिवादीगण**

दावा– इश्तकरारहक मय दूरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड वो हु0ई0 दवामी।

–: पर्चा डिक्री :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:14:41 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.12.2022 को पंकज बडगूजर सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0) मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः हाल आराजी ख0नं0 42/1.40, 44/1.38, 45/5.21, 45/1117/0.40, 46/3.20, 48/2.40, 49/0.77, 49/1118/1.11, 50/1.32, 50/1119/0.44, 51/0.06, 52/3.63, 53/0.63, 54/1.71 वाके ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के 1/3 भाग फकीरा पुत्र फूसा के हिस्से आराजी की हद तक के वाद को डिक्री

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

किया जाता है एवं उक्त 1/3 हिस्से के बाबत पूर्व निर्णित इन्तकाल सं0 2311 वाके ग्राम पेहल को बातिल व बेअसर करार दिया जाता है तथा मुताबिक उक्त इन्तकाल सं0 2311 वाके ग्राम पेहल अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे पक्षकारान के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त फकीरा पुत्र फूसा के 1/3 भाग हेतु वादी एवं तर0प्रतिवादी सं0 8 व 9 को संभाग में 1/2 भाग का व तर0प्रतिवादी सं0 10 ल0 12 को 1/2 भाग का उक्तानुसार दर 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 07.12..2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

07-12-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलकटर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज॰

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:14:41 IST
Reason: SelfAttested